

भारत संचार निगम लिमिटेड

ऋण एवं अग्रिम अनुभाग

सामान्य भविष्य निधि से सगाई/विवाह संस्कार के लिए धनराशि की अंतिम निकासी हेतु आवेदन पत्र

1. अंशदाता का नाम :
 2. पदनाम :
 3. मूल-वेतन :
 4. भविष्य निधि खाता संख्या :
 5. कार्यालय जिसमें सामान्य भविष्य निधि खाते का लेखाजोखा किया जाता है :
 6. आवेदन की तारीख को अंशदाता के खाते में जमा अधिशेष :
 7. अपेक्षित धनराशि :
 8. प्रयोजन जिसके लिए यह धनराशि अपेक्षित है :
- अ
- (i) क्या यह राशि अंशदाता के पुत्र/पुत्रियां या अन्य स्त्री जाति से संबंध, जो कि वास्तविक रूप में मुझ पर आश्रित हैं, के सगाई/विवाह के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए निकाली जा रही है :
 - (ii) क्या इस प्रयोजन के लिए सामान्य नियम के अंतर्गत कोई पहले धनराशि ली गई थी :
 - (iii) विवाह/सगाई के प्रयोजन की तारीख
- (ब)
- (i) क्या यह आवेदन पहले ली गई धनराशि की अंतिम निकासी में परिवर्तन करने के लिए है :
 - (ii) लिए गए अग्रिम का विवरण :

9. (i) कुल सेवा अलग-अलग अवधियों :
सहित, यदि कोई हो
- (ii) आवेदन की तारीख को :
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने
के लिए अपेक्षित सेवा अवधि ।
- (iii) अधिवर्षिता की तारीख :
10. पिछली अंतिम निकासी का :
प्रयोजन और धनराशि किस
कार्यालय द्वारा संस्वीकृत की गई
थी तथा इसका भुगतान किस
महीने में किया गया था ।

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

पदनाम :

दूरभाष नंबर :

मद संख्या 1 से 6 में दिए गए विवरणों का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें सही पाया गया है ।

अनुभाग अधिकारी (वेतन बिल)/(रोकड़ अनुभाग)/लेखाधिकारी (रोकड़)

मद संख्या 9 (i), (ii) और (iii) का सत्यापन कर दिया गया है और उन्हें सही पाया गया है ।

अनुभाग अधिकारी (सी.एस.एस.)/कार्मिक-1,11/पेंशन/ए एंड ई/एसईए

प्रमाणित किया जाता है कि मैं सामान्य भविष्य निधि (सिविल सेवा) नियमावली 1960 के नियम 15 खण्ड (1)(बी) में विहित शर्तों से संतुष्ट हूँ ।

अनुभाग अधिकारी (ऋण एवं अग्रिम)